न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 59/2018 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00125

1. रामलाल उर्फ राजुराम पुत्र स्व. बालूराम जाति खाती निवासी जालबसर तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. टीकुराम दत्तक पुत्र किसनाराम जाति खाती निवासी जालबसर तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत उदरासर श्रीडूंगरगढ़।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक अपीलांट
एकपक्षीय कार्यवाही — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2

निर्णय

दिनांक 21.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम जालबसर स्थित गत खसरा नंबर 170 रकबा 39 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 171 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा, ख.नं. 313 रकबा 74 बीघा 5 बिस्वा की कुल 142 बीघा 8 बिस्वा भूमि किसनाराम, रेवन्तराम व बालूराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रत्येक का 1/3 हक व हिस्सा चला आ रहा था। खातेदार किसनाराम का देहान्त दिनांक 05.06.2001 को हो जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने ग्राम पंचायत उदरासर पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा गोदनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 395 दिनांक 06.08.2001 स्वीकृत करवा लिया। उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 द्वारा दाखिल दफ्तर करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि ग्राम जालबसर स्थित गत खसरा नंबर 170 रकबा 39 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 171 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा, ख.नं. 313 रकबा 74 बीघा 5 बिस्वा की कुल 142 बीघा 8 बिस्वा भूमि किसनाराम, रेवन्तराम व बालूराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रत्येक का 1/3 हक व हिस्सा चला आ रहा था। खातेदार किसनाराम कुंवारा था इसलिए अपीलांट ही उसकी देखभाल व भरण पोषण करता आ रहा था। किसनाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.02.1998 को अपीलांट के पक्ष में कर दी। किसनाराम की मृत्यु दिनांक 05.06.2001 को हो जाने पर अपीलांट ने तहसीलदार व ग्राम पंचायत में वसीयत के आधार पर किसनाराम के हक व हिस्से की भूमि 1/3 हिस्से को अपीलांट के नांम दर्ज करने का आवेदन किया, जिसके विचाराधीन रहते हुए अपीलांट को बिना सुने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम जरिये गोदनामा इंतकाल दर्ज कर दिया। कानूनन जहां कोई सम्पति दत्तककर्ता की शेष बची हो तो उसका इंतकाल दतक पुत्र की हैसियत से दर्ज किया जाएगा किन्तु इस प्रकरण में किसनाराम स्वयं ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में कर दी थी। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल सं. 395 विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 दत्तक पुत्र नहीं रहा है, उसने प्राकृतिक पिता की भूमि में अपना नाम विरासतन में दर्ज करवा रखा है तथा वाद में दत्तक पुत्र की हैसियत से फिर नाम दर्ज करवा लिया, जबकि कानूनन दोनो भूमि में अपने नाम दर्ज नही करवा सकता। रेस्पोडेन्ट सं. 1 किसनाराम द्वारा छोड़ी गई शेष सम्पति को ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट सं. 1 ने उपस्थित होकर अपना नाम हटाने का निवेदन किया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय को जैर अपील आदेश पारित करने का अधिकार हासिल नहीं था, क्योंकि उनके समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही/मुकदमा लम्बित ही नहीं था। इसलिए बिना किसी कार्यवाही के अन्य पत्रावली में ऐसा आदेश नही दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने वसीयत के आधार पर वादगत भूमि उसके नाम अंकित की जावे तथा दत्तक पुत्र की हैसियत से स्वीकृत इंतकाल सं. 395 निरस्त किया जाने बाबत अपील पेश की थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र टीकुराम के प्राकृतिक पिता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का नाम डिलीट करने का आदेश पारित किया, जिसकी कोई अपील ही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील एवं विवादित इंतकाल की एवज में कोई निर्णय नहीं करते हुए अपील दाखिल दफ्तर करने के आदेश पारित कर दिये, जो अवैध व अनुचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश व इंतकाल सं. 395 निरस्त किया जावे।

3— रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के निमित्त जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। सम्मन तामिल हो जानें के बावजूद न तो रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित हुए एवं न ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.07.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के विरूद्ध (Ex Parte) एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वरवक्त की गई बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 टीकुराम के प्राकृतिक पिता का नाम डिलीट करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने के आदेश दे दिये। तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर किसनाराम के हक व हिस्से की भूमि 1/3 हिस्से को अपीलांट के नाम दर्ज करने का आवेदन विचाराधीन रहते हुए ग्राम पंचायत उदरासर ने अपीलांट को बिना सुने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम जरिये गोदनामा इंतकाल दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन की अपील का उचित निस्तारण किये बिना ही दाखिल दफ्तर के आदेश पारित कर दिये, जो कि न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्ष को पुनः सुनकर व वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अधील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर